

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

पलविन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 86/2021

निर्णय दिनांक :- 15.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू-अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 12 एफ एफ की जमाबन्दी सम्मत 2073 ता 76 के खाता संख्या 66/65 में अंकित नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र गण्डा सिंह, गुरनाम सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह, मस्तान सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के स्थान पर पलविन्द्र सिंह पुत्र गण्डा सिंह, गुरनाम सिंह पुत्र पलविन्द्र सिंह, मस्तान सिंह पुत्र पलविन्द्र सिंह व चक 15 एफ एफ के खाता संख्या 51/51 में अंकित नाम बलविन्द्र सिंह पुत्र गंडा सिंह के स्थान पर पलविन्द्र सिंह पुत्र गंडा सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे आज दिनांक 15.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 442

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 16/11/21

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर